कार्यालय अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक/6618 /स्था.राज./एसआरजेआर/26 विदिशा/दिनांक :–24/09 /2026

सूचना–63

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क. एफ.–4–60/2017/55–2 भोपाल, दिनांक 12/05/2017 एवं मं.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क. एफ 02–42/2007/01/55(पार्ट), दिनांक 12/01/2024 एवं कार्यालय आयुक्त लोक स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग का पत्र क. 1812/स्था/राज/भर्ती पदस्था/2025 भोपाल, दिनांक 11/12/2025 के द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट एवं जूनियर रेसीडेन्ट के रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति किये जाने के लिए वॉक–इन–इंटरव्यूह हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है।

वॉक–इन–इंटरव्यूह पदों की पूर्ती हेतु **दिनांक** – 30/09/2026 **दिन** – गुरूवार **को सुबह 10:00 बजे से अधिष्ठाता सभागार, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा** में आयोजित किये जावेंगें। प्रकाशित पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

	SENIOR RESIDENT						
S.No	Subject	ST	SC	OBC	UR	EWS	Total
1	FORENSIC MEDICINE	01	----	01	02	----	04
2	ANATOMY	01	----	01	02	----	04
3	RADIODIAGNOSIS	01	----	01	----	01	03
4	MICROBIOLOGY	01	----	----	01	01	03
5	PHARMACOLOGY	01	----	01	01	01	04
6	PHYSIOLOGY	01	----	01	02	----	04
7	BIO-CHEMISTRY	01	----	01	02	----	04
8	GENERAL MEDICINE	01	01	02	02	01	07
9	EMERGENCY MEDICINE	01	----	01	02	01	05
10	GENERAL SURGERY	----	01	01	01	----	03
12	PATHOLOGY	01	----	----	01	----	02
13	ANAESTHESIA	----	01	01	-----	----	02
14	ORTHOPAEDICS	----	01	----	01	----	02
15	OBS&GYN.	----	----	----	01	----	01
16	DERMATOLOGY	----	----	01	----	----	01
	TOTAL	10	04	12	18	05	49

	JUNIOR RESIDENT						
	Subject	ST	SC	OBC	UR	EWS	Total
01	EMERGENCY MEDICINE	01	01	01	01	----	04
02	ORTHOPAEDICS	01	----	01	01	----	03
03	PULMONORY MEDICINE	----	----	----	01	----	01
04	OBS&GYN.	----	----	----	01	----	01
05	GENERAL MEDICINE	----	----	01	----	01	02
06	ANAESTHESIA	----	01	01	----	01	03
07	DERMATOLOGY	----	01	----	----	----	01
08	ORTHOPAEDICS	01	----	01	01	----	03

कार्यालय अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com Website:- www.gmcvidisha.org

09	PSYCHIATRY	01					01
10	PEDIATRICS	----	----	01	----	----	01
	TOTAL	04	03	06	05	02	20

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृध्दि हो सकती है।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नही हो जायेगा।
4. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वॉक–इन–इंटरव्यूह जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।
5. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. उम्मीदवार को अपने एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम के कार्यकाल का पूर्ण होने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
7. जिस विभाग में पी.जी अध्यनरत नही हैं, उस विभाग की कार्यअधिकत्ता एवं कार्यसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये चयनित अभ्यर्थी को कार्य करने हेतु अन्य विभाग में भी भेजा जा सकता हैं। जिसका अंतिम निर्णय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
8. निम्नलिखित विभागों के लिये उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की दशा में निम्न विभागों में स्नात्कोत्तर डिग्री प्राप्त रेसीडेन्ट चिकित्सक भी पात्र होगें।

क्र.	विभाग का नाम	पात्रता
1	Emergency Medicine	MD/MS/DNB 1. General Medicine 2. Anaesthesia 3. Respiratory Medicine 4. General Surgery 5. Orthopaedics

शर्ते :–

1. अवधि :– सीनियर रेसीडेन्ट की सेवा अवधि **(Tenure)** तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01 वर्ष बढाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढाई जा सकेगी।
2. **नियुक्ति का तरीका** :– योग्य अभ्यार्थियो का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अकों एवं साक्षात्कार उपरातं किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।

नियम एवं निर्देश :– म.प्र शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 2–42/07/1/पचपन,भोपाल दिनांक 17.12.2021 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी:

1. सीनियर रेसीडेंट :–

पात्रता :–

(i) सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पाचं (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./एम.डी.एस. पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।

(ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(iii) एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हताये स्वतः लागू होगी।

अपात्रता :–

(i) एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठयक्रम की अध्ययनरत अवधि मे अधिष्ठाता/प्राचार्य,चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्ययालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्ययालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमो के विरूध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठयक्रम अवधि मे छात्र/छात्रा के विरूध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

(iv) पाठयक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों मे लापरवाही,अशिष्टता,अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

(v) विन्दु (i) से (iv) मे दर्शित कारणो से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति मे ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था मे सेवा के लिये पात्र नही माने जायेंगे।

चयन विधि :–

(i) अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमतः स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा से उर्तीर्ण चिकित्सको को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदो के लिये प्रदेश के अन्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उर्तीर्ण चिकित्सको पर विचार किया जायेगा। तत्पश्चात निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com Website:- www.gmcvidisha.org

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय मे एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिये पात्रता होगी।

(iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी,डी.एन.बी डिप्लोमा होगा।

(v) विभिन्न विषयों मे उत्तीर्ण एम.डी.एस उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा ।

(vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नही होगी।

टेन्यूअर (Tenure)

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्षद्व द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढाया जायेगा।

(iii) विभाग मे पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध मे संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष , सम्बद्वध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेसिडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नही होगी।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तंत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत होंगे।

आरक्षण :–

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीट के विरूद्ध प्रथमत संबंधित श्रेणी के प्रदर्शको/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियो का चयन किया जायेगा। तदोपारांत सीनियर रेसिडेंसी हेतु अन्य चिकित्सको का चयन होगाा।

(iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियो के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग,सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी।

अवकाश :–

(i) सीनियर रेसिडेंन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नही किया जा सकेगाा। अवकाश के समस्त प्रकरणो पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। सीनियर रेसिडेंन्ट के पद पर रहते हुये भूल पद से जुडे किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नही होगी।

प्रदशर्को/टयूटरों/चिकित्सा का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन :–

1. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (5) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी./एम.डी. एस. पाठयक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
2. एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हितायें स्वतः लागू होगी।
3. जिस प्रदर्शक/टयूटर/चिकित्सा अधिकारी ने जिस विषय में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है, उसकी सिर्फ उसी विषय के लिए सीनियर रेसीडेंसी की पात्रता रहेगी

चयन विधि :–

1. ऐसे प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठयक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
2. साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा से एम.डी. /एम.एस./एम.डी.एस किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियां रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

सीट का आरक्षण :–

1. राज्य शासन द्वारा अदयतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
2. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्व प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

वेतन भत्ते :–

1. प्रदर्शक/टयूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

कार्यालय अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com Website:- www.gmcvidisha.org

टीप :–

1. जिन प्रदर्शकों/टयूटरों/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है ऐसे प्रदर्शक/टयूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्व धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्व किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नहीं करेगा।

यात्रा भत्ता :–

1. साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नही दिया जायेगा उन्हें स्वंय के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्ते :–

1. इन चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष मे 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह मे एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातो पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारो को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप मे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलगन करना अनिवार्य है।
3. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र मे दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
4. यदि कोई आवेदक किसी संस्था मे पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागो मे संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय– समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।

जूनियर रेसीडेंट :–

पात्रता

जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।

टेन्यूअर (Tenure)

(i) टेन्युअर की अवधि 01 वर्ष होगी।

अपात्रता :–

1 एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस पाठयक्रम की अध्ययनरत् अवधि मे अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशो का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय मे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
2 विधि द्वारा स्थापित नियमो के विरूद्व किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
3 पाठ्यक्रम अवधि मे छात्र/छात्रा के विरूद्व अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
4 पाठ्यक्रम अवधि मे पदीय कर्तव्यों मे लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने
5 बिन्दु (i) से (iv) मे दर्शित कारणो से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिन संचालित किसी संस्था मे सेवा के लिये पात्र नहीं माने जायेगें।
6 उपरोक्त बिन्दुओ के संबंध मे छात्र/छात्रा द्वारा इंटर्नशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले मे Internship Completion Certificate मे इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

आरक्षण :–

1 राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी ।
2 आरक्षित वर्ग के रिक्तियो के विरूद्व चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति क्रम से उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी।

शिष्यावृति :–

1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसिडेन्ट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा